न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)
(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:– 177 / 17

1. ओमप्रकाश पुत्र बीधाराम
2. अंगूरी विधवा पत्नि वीधाराम
3. तेजसिंह पुत्र बीधाराम
4. थानसिंह पुत्र बीधाराम

जाति धाकड निवासी ग्राम वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर

5. लक्ष्मी पुत्र बीधाराम पत्नि राकेश जाति धाकड निवासी खोहरा तहसील बयाना, भरतपुर
6. नीलम पुत्री बीधाराम पत्नि मुकेश जाति धाकड निवासी खोहरा तहसील बयाना, भरतपुर
7. पूजा पुत्री बीधाराम पत्नि गोरेलाल जाति धाकड निवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली

–– वादीगण

बनाम

1. लाखनसिंह पुत्र किरको दत्तक पुत्र मुन्ना
2. फूलसिंह पुत्र गरीबा
3. देवीसिंह पुत्र गरीबा
4. रामचन्द पुत्र गोरी
5. बलबन्त पुत्र हबलू
6. सूस्या पुत्र हबलू

जातियान धाकड निवासी ग्राम वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर

6 / 1. वीरवती पत्नि सूस्या
6 / 2. दयाराम पुत्र स्व0 सूस्या
6 / 3. जगराम पुत्र स्व0 सूस्या
6 / 4. शंकर पुत्र स्व0 सूस्या

जातियान धाकड निवासी ग्राम वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर

7. फतेहसिंह पुत्र लालचन्द जाति धाकड
8. सुरेशचन्द पुत्र लालचन्द
9. तेजपाल पुत्र लालचन्द
10. हरीराम पुत्र किरको
11. वेदराम पुत्र किरको
12. डालू पुत्र किरको

जातियान धाकड निवासी ग्राम वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर

13. माया पुत्री किरको पत्नि कृष्णा जाति धाकड निवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली

–– प्रतिवादीगण

वाद डिकलेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 टीनैन्सी एक्ट।

निर्णय

दिनांकः– 21/4/26

उपस्थितिः– श्री महेन्द्र भूषण शर्मा एड0 वादीगण

वादीगण द्वारा यह दावा वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0टी0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पुराना खसरा नम्बर 133 रकवा 2 बीघा 2 विस्वा ग्राम वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर में स्थित है कि जिसके वर्तमान सेटिलमेंट के दौरान नवीन खसरा नम्बरान 569 रकवा 0.01, 570 रकवा 0.10, 571 रकवा 0.11, 574 रकवा 0.12 किता 4 रकवा 0.34 हैक्टै0 बनाये गये है, उक्त पुराना आराजी खसरा नम्बर 133 में 4 बैल में से 2 बैल से 1/2 भाग यानि कुल के 1/4 भाग के प्रतिवादी संख्या 1 मुन्ना तथा उसका सगा भाई किरको पुत्र बलबन्त दिनांक 13.05.1988 तक रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी रहे है, दिनांक 18.03.1988 को प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने व उसके सगे भाई किरको ने उक्त आराजी में निहित अपने उपर वर्णित सम्पूर्ण हिस्से को वादी के पिता श्री बीधाराम के हक में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मुवलिग 3000/ रूपये की एवज में वय कतई मालाकलाम कर दिया और क्रेता श्री बीधाराम को मौके पर कब्जा दे दिया कि जिस पर उक्त क्रेता श्री बीधाराम अपने जीवनकाल तक बहैसियत रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज रहा है, उक्त केता श्री बीधाराम का स्वर्गवास पूर्व हो गया है, उक्त सजरा के मुताबिक वादीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार मौके पर आज तक उक्त आराजी मुतनाजा पर काबिज चले आ रहे है व अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है व उपज प्राप्त करते आ रहे है, प्रतिवादीगण का वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी से किसी प्रकार का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और न ही उनका हमारी खरीदी हुई आराजी पर अपना कब्जा करने का व हमको उक्त आराजी मुतनाजा से बेदखल करने का व अपने हक में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने का कोई भी अधिकार नहीं है, उक्त रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर उक्त केता श्री बीधाराम के हक में सम्वत् 2057 लगायत 2060 की जमाबन्दी के खाता संख्या 122 में 1/4 हिस्सा पर बदस्तूर खातेदार काश्तकार दर्ज है लेकिन इसके बाद प्रतिवादीगण ने श्री बीधाराम की बैक पर व उसे बिना कोई नोटिस दिये व न सुने तथा पक्षकार बनाये बिना उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 569, 570, 571 व 574 जरिये दाखिला खारिज नम्बर 167 से गरीबा 2/9, गोली 1/9, मुन्ना 1/9, किरको 1/9, सूस्या व लालचन्द 4/9 से अपने नाम टीप व खातेदारी पटवारी बगैहरा से मिलकर दर्ज व तस्दीक करवा ली है जो कि मौके व कब्जे काश्त तथा कानून के विपरीत एवं वादीगण के मुकाबले में शून्य व बेअसर है और निरस्त होने योग्य है, उक्त गलत इन्द्राजी की आड में दिनांक 16.08.2017 को मौके पर आकर वादीगण को यह एलानियां धमकी दी है व बताया है कि हमने कागजात पटवार में से तुम्हारा व तुम्हारे पिता व पति बीधाराम का नाम कटवा दिया है और न्यारान्यूर अपने नाम उक्त अनुपात से खातेदारी दर्ज करवा ली है अतः हम आयन्दा तुमको इस आराजी को जोतने बोने व उपयोग उपभोग नहीं करने देंगे व हम लठठ से बेदखल कर देंगे और अपना न्यारान्यूर कब्जा कर लेगें तथा उक्त आराजी को शीघ्र लठठ व पैसे वाले व्यक्ति को मुन्तकिल कर देगें या रहन रख देंगे करने का प्रतिवादीगण को कोई भी अधिकार नहीं है, प्रतिवादीगण अपनी उक्त नाजायज मंशा व धमकी में सफल हुए तो वादी गण को अपरमित क्षति होगी कि जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नही हो सकेगी और व्यर्थ में ही मुकदमेंबाजी बढेगी इसलिए वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद लाना और उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक हो गया है,वादी का विवाद हेतु दिनांक 16.08.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा वर्णित धमकी देने पर पैदा हुआ है वाद वादीगण अवधि में पेश है।

अन्त में वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें:– पुराना आराजी खसरा नम्बर 133 रकवा 2 बीघा 2 विस्वा कि जिसके नवीन खसरा नम्बरान 569 रकवा 0.01, 570 रकवा 0.10, 571 रकवा 0.11, 574 रकवा 0.12 बनाये गये है वाके ग्राम वीरमपुरा तहसील बयाना प्रतिवादीगण के मुकाबले में वादीगण को 1/4 हिस्से का उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी घोषित फरमाया जावे और इसी घोषणा के मुताबिक प्रतिवादीगण के नाम हो रही गलत इन्द्राजी को कलमजन फरमाया जाकर उनके स्थान पर उक्त विवादित आराजी में निहित वादीगण के नाम 1/4 हिस्से पर टीप व खातेदारी

दर्ज फरमाई जावे, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 569 रकवा 0.01, 570 रकवा 0.10, 571 रकवा 0.11, 574 रकवा 0.12 ग्राम वीरमपुरा तहसील बयाना में वादी गण के 1/4 हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से मदाखलत व मजाहमत नही करें न रहन वय मुन्तकिल करें न रहन रखे, का निवेदन किया गया है।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। न्यायालय हाजा की विभिन्न आदेशिकाओं से प्रतिवादीगण बाद तामील उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

हमने विद्वान अभिभाषक वादीगण को एकपक्षीय सुना। एड0 वादीगण द्वारा दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये। दावा वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत 2057–60 ग्राम वीरमपुरा, प्रदर्श 2 मिसिल बन्दोवस्ती सम्वत 2051–60 ग्राम वीरमपुरा, प्रदर्श 3 जमाबन्दी सम्वत 2069 ग्राम वीरमपुरा, प्रदर्श 4 रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 20.05.1988 उपपंजीयक बयाना एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.ड. 1 ओमप्रकाश, पी.ड. फतेहसिंह के शपथ पत्र पेश हुये।

हमने पत्रावली व मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया। निष्कर्ष आता है कि रिकार्ड में परिवर्तन नामान्तकरण संख्या 167 से हुआ है। जो न्यायालय सहायक कलक्टर बयाना के आदेश क्रमांक 1388 दिनांक 11.04.2001 के क्रम में किया गया है। अतः वादीगण क्लेम हेतु नहीं आया है। वाद वादीगण खारिज योग्य है।

आदेश

अतः दावा वादीगण खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/4/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना

डिकरी व मुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE] APPENDIXD-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बयाना जिला भरतपुर

व इजलास दीपक मित्तल आर.ए.एस

मुकदमा नं0:– 177/17

1. ओमप्रकाश पुत्र बीधाराम
2. अंगूरी विधवा पत्नि बीधाराम
3. तेजसिंह पुत्र बीधाराम
4. थानसिंह पुत्र बीधाराम

जाति धाकड निवासी ग्राम वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर

5. लक्ष्मी पुत्र बीधाराम पत्नि राकेश जाति धाकड निवासी खोहरा तहसील बयाना, भरतपुर
6. नीलम पुत्री बीधाराम पत्नि मुकेश जाति धाकड निवासी खोहरा तहसील बयाना, भरतपुर
7. पूजा पुत्री बीधाराम पत्नि गोरेलाल जाति धाकड निवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली

—— वादीगण

बनाम

1. लाखनसिंह पुत्र किरको दत्तक पुत्र मुन्ना
2. फूलसिंह पुत्र गरीबा
3. देवीसिंह पुत्र गरीबा
4. रामचन्द पुत्र गोरी
5. बलबन्त पुत्र हबलू
6. सूस्या पुत्र हबलू

जातियान धाकड निवासी ग्राम वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर

6/1. वीरवती पत्नि सूस्या

6/2. दयाराम पुत्र स्व0 सूस्या

6/3. जगराम पुत्र स्व0 सूस्या

6/4. शंकर पुत्र स्व0 सूस्या

जातियान धाकड निवासी ग्राम वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर

7. फतेहसिंह पुत्र लालचन्द जाति धाकड
8. सुरेशचन्द पुत्र लालचन्द
9. तेजपाल पुत्र लालचन्द
10. हरीराम पुत्र किरको
11. वेदराम पुत्र किरको
12. डालू पुत्र किरको

जातियान धाकड निवासी ग्राम वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर

13. माया पुत्री किरको पत्नि कृष्णा जाति धाकड निवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली

—— प्रतिवादीगण

वाद डिकलेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 टीनैन्सी एक्ट।

उप खण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

यह मुकदमा आज दिनांक 21/4/26 वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू.....मुझ... बहाजरी श्री महेन्द्र भूषण शर्मा एडवोकेट मिनजानिब वादीगण की ओर से तथा प्रतिवादीगण की ओर से .... उपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि–

दावा वादीगण खारिज किया जाता है।

चीज......... X ....मुबलिग.....प्रतिवादीगण.....X.....बाबत
खर्चा.................तक...............को अदा करें।
वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 21/4/26 को जारी की गई।

दस्तखत मय औहदा
उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

मुददई	रूपया	पैसे	मुददायलाह	रूपया	पैसे
अर्जीदावा वकालतनामा वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	निल	निल	वकालतनामा वहज सबूत जबाबदावा/काउन्टर क्लेम मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	निल	निल
	00	00		00	00

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.